बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांक......................../

सं०सं०–डी०एफ०पी०/विविध (प्रोसेसिंग कार्य–ई० रेडिएशन)–05/2018

पटना, दिनांक........................

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)

बिहार, पटना।

विषयः– कृषि उत्पादों के संरक्षण/भंडारण के लिये एक ई0 रेडिएशन–सह–पैक हाउस (सामान्य सुविधा केन्द्र) की समेकित ईकाई की स्थापना हेतु ₹5083.43 लाख (पचास करोड़ तेरासी लाख तेतालीस हजार रूपये) मात्र के योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹10.43 लाख (दस लाख तेतालीस हजार रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :–स्वीकृत।

राज्य में कृषि उत्पादों के संरक्षण/भंडारण के लिये एक ई0 रेडिएशन–सह–पैक हाउस (सामान्य सुविधा केन्द्र) की समेकित ईकाई की स्थापना हेतु ₹5083.43 लाख (पचास करोड़ तेरासी लाख तेतालीस हजार रूपये) मात्र के योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में **₹10.43 लाख (दस लाख तेतालीस हजार रूपये) मात्र** के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि उत्पाद के मूल्यवर्द्धन को ध्यान में रखते हुए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में खाद्य प्रसंस्करण को प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है। इस क्रम में कृषि रोड मैप (2017–22) के चेप्टर–12 के कंडिका–2.5 में फल एवं सब्जी मूल्यवर्द्धन एवं वेस्टेज/बर्बादी 30–45% से घटाने का उद्वेश्य रखा गया है। फल एवं सब्जी के मूल्यवर्द्धन करने हेतु सिर्फ निजी क्षेत्र में निवेश पर निर्भर नहीं रहकर सरकार के स्तर से फल एवं सब्जी के संरक्षण/भंडारण एवं निर्यात हेतु आधारभूत संरचना विकसित करने के उद्वेश्य से कॉमन फैसिलिटी सेन्टर स्थापित किया जायेगा जिससे निजी क्षेत्र के उद्यमियों को संरक्षण/भंडारण एवं निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

3. इस योजना के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना को नामित किया गया है।

4. इस योजना पर होनेवाली व्यय राशि का व्यय **मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष–0163–व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विषय शीर्ष–0163.27.01 लघु कार्य, विपत्र कोड–23–2852801020163** मे चालू वित्तीय वर्ष–2018–19 में उपबंधित राशि से विकलीत होगा। शेष **₹5073.00 लाख (पचास करोड़ तिहत्तर लाख रूपये) मात्र** का व्यय वहन अनुपूरक आगणन के माध्यम से अथवा वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त शीर्ष अन्तर्गत **विषय शीर्ष–0163.27.01 लघु कार्य एवं विषय शीर्ष–0163.52.02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य** में बजट उपबंध से विकलीत होगा।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना के पी०एल०ए० खाता सं0–268 में उपलब्ध करायेंगे।

6. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक (खा0 प्र0), खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो इस योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे।

7. इस योजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण परिशिष्ट–1 (छायाप्रति संलग्न) में गठित कमिटि द्वारा की जायेगी।

8. इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म–46 पर की जायेगी।

9. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–01.02.2019 में मद सं0–1 में स्वीकृति प्राप्त है।

10. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– डी०एफ०पी०/विविध (प्रोसेसिंग कार्य–ई० रेडिएशन)–05/2018 के पृष्ट–74/टि0 पर दिनांक–05.02.2019 को प्राप्त है।

क्रमशः पृष्ट–02 पर.....

11. वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.98 की कंडिका–2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8244 दिनांक–02.08.2010 के दिशा निर्देशों के अनुरूप की जायेंगी।

12. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः–7355 / वि0(2), दिनांकः 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................ /
पटना, दिनांक........................
सं0सं0–डी0एफ0पी0 / विविध (प्रोसेसिंग कार्य–ई0 रेडिएशन)–05 / 2018

प्रतिलिपि.– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................ /
पटना, दिनांक........................
सं0सं0–डी0एफ0पी0 / विविध (प्रोसेसिंग कार्य–ई0 रेडिएशन)–05 / 2018

प्रतिलिपि.– प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................ /
पटना, दिनांक........................
सं0सं0–डी0एफ0पी0 / विविध (प्रोसेसिंग कार्य–ई0 रेडिएशन)–05 / 2018

प्रतिलिपि.– निदेशक (खा0 प्र0), निदेशक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......184...... /
पटना, दिनांक....11/08/19
सं0सं0–डी0एफ0पी0 / विविध (प्रोसेसिंग कार्य–ई0 रेडिएशन)–05 / 2018

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव / उद्योग निदेशक, बिहार, पटना / आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय / उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना / बजट शाखा, उद्योग विभाग / प्रबंध निदेशक, आयडा, पटना / प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा–3(उ0नि0) / प्रशाखा–1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।